न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

ंन0 01/2024

नत्थू सिंह पुत्र स्व० श्री खींव सिंह आयु 68 वर्ष जाति राजपूत निवासी पन्नीवाली, तहसील ब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।

उच्छव कंवर (पुत्री स्व० श्री खींव सिंह) धर्मपत्नी स्व0 श्री पृथ्वीराज सिंह आयु 75 वर्ष जाति जपूत निवासी पुरानी गिनाणी, राणासर हाऊस, बीकानेर, तहसील व जिला बीकानेर।

पुष्प कंवर उर्फ सम्पत कंवर (पुत्री स्व० श्री खींव सिंह) धर्मपत्नी श्री हनुमान सिंह आयु 52 र्ष जाति राजपूत निवासी चक 24 एसटीजी, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

भूप सिंह आयु 58 वर्ष — पुत्रगण स्व० श्री करणी सिंह पुत्र स्व0 श्री खींव सिंह

मदन सिंह आयु 54 वर्ष

दीप कंवर धर्मपत्नी स्व० श्री ब्रहम सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र स्व० श्री करणी सिंह

रविन्द्र सिंह आयु 35 वर्ष — पि0 स्व0 श्री ब्रह्म सिंह उर्फ बाबू सिंह पुत्र स्व0 श्री करणी सिंह जाति राजपुत निवासीगण पन्नीवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3 भंवर खुशबू आयु 38 वर्ष

वनाम

अपीलांण्ट

1 रणछोड सिंह पुत्र स्व0 श्री लाधू सिंह, आयु 65 वर्ष, जाति राजपूत, निवासी चक 23 एसटीजी, पीलीबंगा हाल आबाद करणी चौक, सुरेशिया, वार्ड नंबर 53, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

2 तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।

रेस्पोंडेंट

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरए</u>

उपस्थिति :– श्री लालचन्द वर्मा — अपीलांट

श्री छगनलालसिंडाना — रेस्पोंडेट

दिनांक: 9/5/25

<u>निर्णय</u>

अपील के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि स्व० श्रीमति जतन कंवर, स्व० श्री खींव सिंह की पुत्री व वादी संख्या 1 से 3 की सगी बहिन व वादीगण सख्या 4 व 5 की भुआ तथा वादिया सख्या 6 की भुआ सास व वादीगण सख्या 7 व 8 की भुआ दादी थी। श्रीमति जतन कंवर का दिनांक 05.07.2022 को निःसंतान देहान्त हो गया है । प्रतिवादी संख्या 1 स्व० श्रीमति जतन कंवर के पति है । स्व० श्री खींव सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह का दिनांक 17.09.1966 को देहान्त हो गया । करणी सिंह – नत्थू सिंह – जतन कंवर – उच्छव कंवर व पुष्प कंवर उर्फ सम्पत कंवर स्व० श्री खींव सिंह के प्रथम श्रेणी के वारिस है । स्व० श्री खींव सिंह के देहान्त उपरान्त उनके नाम दर्ज चक 30 एनजीसी (पुराना चक 18 एफटीपी) व चक 3 एच. एम. एच. की भूमि सहायक भू–अभिलेख अधिकारी टिब्बी द्वारा उनके वारिसान के नाम दर्ज की। इस भूमि की

भूप्रबंध विभाग की खतौनी जमाबंदी निम्नलिखित है :-चक 30 एनजीसी के खाता स0 15 में कुल 1.265 है0 व इसी चक के खाता स0 16 में कुल 2.530 है व इसी चक के खाता स0 17 में कुल 3.542 है0 व चक 3 एचएमएच के खाता स0 18 में कुल 6.578 है0 में स्व0 खींव सिंह के वारिसान का 1/2 हिस्सा था, व च इसी चक के खाता स0 19 में कुल 1.012 है0 यह कि कालांतर मे जीव कंवर बेवा खींव सिंह, करणी सिंह, नत्थू सिंह, उच्छव कंवर व पुष्प कंवर ने चक 30 एनजीसी व चक 3 एच एम एच में अपने हक व हिस्सा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दस्तबरदारी दिनांक 27.02.2002 श्रीमति जतन कंवर के पक्ष में त्याग करने पर चक 30 एनजीसी के इतकाल संख्या 160 दिनांक 07.06.2002 के जरिये खतौनी जमाबंदी भूप्रबंध विभाग के खाता संख्या 16 की 2.530 हैक्टेयर व खाता संख्या 17 की 3.542 हैक्टेयर कुल 6.072 हैक्टेयर का इंतकाल श्रीमति जतन कंवर के नाम दर्ज व तस्दीक हुआ तथा चक 3 एच एम एच के भूप्रबंध विभाग के खतौनी जमाबंदी खाता संख्या 18 की 6.578 हैक्टेयर में निस्फ हिस्सा व खतौनी जमाबंदी खाता संख्या 19 की 1.012 हैक्टेयर का इंतकाल संख्या 72 दिनांक 08.02.2006 श्रीमति जतन कंवर के नाम दर्ज व तस्दीक हुआ । इस प्रकार श्रीमति जतन कंवर को अपने पिता स्व० श्री खींव सिह की उक्त कृषि भूमि में निम्नलिखित विवरण की भूमि विरास्तन प्राप्त हुई रू- (I) चक 30 एन.जी.सी. तहसील टिब्बी पत्थर नंबर 173/260 (22) किला नंबर 15 से 17,24,25 व प0न0 172/263 (36) किला न0 4 ता 7 व 173/263 (37) के किला न0 1/20 व प0न0 173/261 (29) किला न0 4 से 6 व प0न0 173/265 (42) के किला न0 10 से 12 व 18 से 24 कुल 6.072 है0 व चक 3 एच. एम. एच. तहसील टिब्बी पत्थर नंबर मु०नं० 171/265 (6) किला नंबर 14, 17, 24 व प0न0 171/266 (7) किला न0 5 कुल 1.012 है0 व प0न0 170/265 (5) 1, 3 से 9, 12 से 16 व प0न0 171/265 मु0न0 6 किला न0 1 से 4, 8 से 13, 18 से 20 कुल 6.578 है0 उक्त 6.578 हैक्टेयर भूमि में श्रीमति जतन कंवर का 1/2 हिस्सा अर्थात् 3.289 हैक्टेयर हुआ। इस प्रकार उक्त दोनो चको में श्रीमति जतन कंवर को कुल 10.373 हैक्टेयर अर्थात् 41 बीघा भूमि विरास्तन प्राप्त हुई । चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 30 एनजीसी खाता सं0 10 / 9 तादादी 6.072 है0 सम्वत् 2056 व चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमावंदी चक 3 एच एम एच खाता संख्या 25 / 38 तादादी 1.012 है0 सम्वत् 2060 - 2063 व खाता संख्या 24 / 29 तांदादी 6.578 है० सम्वत् 2060 - 2063 संलग्न अपील है । कालांतर में न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी/2013 शीर्षक नत्थू सिंह आदि टिब्बी के समक्ष एक राजस्व वाद संख्या बनाम श्रीमति पुष्प कंवर आदि दिनांक 12.08.2013 को प्रस्तुत हुआ । इस वादपत्र में स्व० श्रीमति जतन कंवर की उक्त वर्णित 41 बीघा भूमि चक 30 एनजीसी खाता संख्या 29 / 32 सम्वत् 2068 - 2071 की 6.072 हैक्टेयर व चक 3 एच एम एच की खाता संख्या 26/22 सम्वत् 2068 - 2071 की 6.578 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा तथा खाता संख्या 27/26 सम्वत् 2068-71 की 1.012 हैक्टेयर शामिल थी। इस वादपत्र में जरिये राजीनामा दिनांक 26.08.2013 डिक्री पारित हुई तथा इस डिक्री में श्रीमति जतन कंवर की उक्त वर्णित 41 बीघा भूमि की बजाय घरू विभाजन में चक 14 एफटीपी व चक 24 एनजीसी

तहसील टिब्बी की निम्नलिखित भूमि प्राप्त हुई व उक्त डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेख में स्व० श्रीमति जतन कंवर के नाम जरिये इंतकाल संख्या 160 चक 24 एनजीसी व जरिये इंतकाल संख्या 590 चक 14 एफटीपी दर्ज हुई रू– चक 14 एफटीपी तहसील टिब्बी पत्थर नंबर मु०नं० 178/256 (57) किला नंबर 15, 16, 25 तादादी 0.759 है० चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 14 एफटीपी खाता सं0 40 / 124 सम्वत् 2073–2076 संलग्न अपील है । चक 24 एनजीसी तहसील टिब्बी पत्थर नंबर मु०नं० 178/258 (14) किला नंबर 6 तादादी 0.064 है0 चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 24 एनजीसी खाता सं० 11 / 10 सम्वत् 2075 – 2078 संलग्न अपील है । पत्थर नंबर मु0नं0 179/256 (1) किला नंबर 13, 18 से 23 प0न0 179/257 (10) 1, 2, 9 से 12, 20, 21 प0न0 178/257 (11) 5, 6, 15, 16, 25 प0न0 178/258 (14) 5 कुल = 5.313 है० चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी चक 24 एनजीसी खाता सं0 12/11 सम्वत् 2075 – 2078 संलग्न अपील है । इस प्रकार उक्त राजस्व न्यायालय की डिक्री से स्व० श्रीमति जतन कंवर को कुल 6.136 हैक्टेयर अर्थात् 24 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्राप्त हुई जिसका स्त्रोत पिता की कृषि भूमि में विरास्त से था । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपील की चरण सख्या 3 में वर्णित भूमि जो स्व० श्रीमति जतन कंवर को पीहर पक्ष से प्राप्त हुई थी, के बदले में विभाजन की डिक्री के जरिये अपील की चरण संख्या 5 में वर्णित भूमि प्राप्त हुई है इस प्रकार स्व० श्रीमति जतन कंवर को अपने ससुराल पक्ष अथवा पति से प्राप्त न होकर अपने पिता से अर्थात् पीहर पक्ष से प्राप्त हुई है। स्वीकृततः स्व० श्रीमति जतन कंवर के कोई संतान नहीं थी तथा हिन्दू उत्तराधिकार छवद अधिनियम की धारा 15 (2) की उपचरण (क) के अनुसार "कोई सम्पति जिसकी विरास्तन हिन्दू नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) अभाव में उपधारा 1 में निर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी। इस विधिक स्थिति अनुसार स्व० श्रीमति जतन कंवर के दिनांक 05.07.2022 को निःसंतान फौत होने की दशा में अपील की चरण संख्या 5 मे वर्णित कुल 6.136 हैक्टेयर भूमि अपीलाण्ट को विरास्तन प्राप्त हुई है तथा इस भूमि में अपीलाण्ट संख्या 1 से 3 बहिस्सा बराबर 3/4 हिस्सा व अपीलाण्ट संख्या 4 व 5 बहिस्सा बराबर 2/12 हिस्सा तथा अपीलाण्ट संख्या 6 से 8 बहिस्सा बराबर 1/12 हिस्सा के खातेदार है । रेस्पोडेट संख्या 1 स्व० श्रीमति जतन कंवर के पति है तथा स्व० श्रीमति जतन कंवर को प्रश्नगत भूमि अपने पति अथवा ससुराल पक्ष से नहीं मिलने के कारण एवं पीहर पक्ष से विरास्तन प्राप्त होने से व उसके कोई संतान नहीं होने से पीहर पक्ष में न्यागत होती है लेकिन रेस्पोडेट सख्या 1 ने उक्त विधिक स्थिति के विपरीत अपील की चरण सख्या 5 में वर्णित भूमि का विरास्तन इंतकाल संख्या 229 व 230 दिनांक 19.01.2023 चक 24 एनजीसी तहसील टिब्बी व इंतकाल संख्या 949 दिनांक 19.01.2023 चक 14 एफटीपी तहसील टिब्बी छिपे तौर पर कराई गलत व विधि विरूद्ध तरीका से अपने नाम दर्ज करवाये है जिनका ज्ञान अपीलाण्ट को दिनांक 05.06.2024 को सर्वप्रथम हुआ है। अपीलाण्ट उक्त तीनो इंतकाल आदेशों को बतौर तृतीय पक्षकार चुनौती देने की अनुमति

अधीन यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत है रू– हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पृथक क – यह कि अपीलाधीन विरासतन इंतकाल संख्या 229 व 230 दिनांक 19.01.2023 चक 24 एनजीसी एवं इंतकाल संख्या 949 दिनांक 19.01.2023 चक 14 एफटीपी कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं एकपक्षीय है तथा यह इंतकाल दर्ज करने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 ने प्रश्नगत भूमि की प्रकृति के तथ्यों को अनदेखा किया है तथा अपीलाण्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया। प्रमाणित प्रतिलिपि विरासतन इंतकाले संख्या 229 व 230 दिनांक 09.01.2023 चक 24 एनजीसी एवं इंतकाल संख्या 949 दिनांक 09.01.2023 चक 14 एफटीपी संलग्न अपील ज्ञापन है। रेसपोडेंट सख्या 1 का अपील की चरण संख्या 5 में वर्णित कुल 6.136 हैक्टेयर में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा उन्होनें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत प्रश्नगत भूमि के इंतकाल राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज करवाये है। यह प्रविष्टियां कतई गलत व खिलाफ कानून होने से अवैध है जिससे अपीलाण्ट के निहित खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है स्व० श्रीमति जतन कंवर को प्रश्नगत भूमि अपने पिता तथा पीहर पक्ष के सदस्यों से प्राप्त हुई है तथा उसके निःसंतान फौत होने के कारण यह भूमि उसके पीहर पक्ष अर्थात् अपीलाण्ट में निहित हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त प्रश्नगत भूमिं में कोई हक एवं अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों – के अनुसार नहीं है। प्रश्नगत भूमि स्व० श्रीमति जतन कंवर के जीवनकाल में भी उनकी सहमति से अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में रही है तथा स्व० श्रीमति जतन कंवर के देहान्त उपरान्त भी अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा इस भूमि की रकमराज व आबयाना अपीलाण्ट ही राज कोष में जमा करवा रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ने अपीलाधीन इंतकाल दर्ज करने से पूर्व प्रश्नगत भूमि के भौतिक कब्जा के संबंध में कोई जांच नहीं की । रेस्पोडेंट संख्या 1 का इस भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा । अन्य आधार वरवक्त बहस अनुमति अधीन निवेदन किये जायेंगे। यह कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलाधीन इंतकाल छिपे तोर पर अपीलाण्ट को सूचित किये बिना रेस्पोडेंट संख्या 2 से मिलीभगत कर अपने पक्ष में तस्दीक करवाये है। अपीलाण्ट को इन इंतकाल आदेशों की कोई जानकारी नहीं थी। रेस्पोडेंट सख्या 1 ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व राजस्व अभिलेख में अपने नाम हुई उक्त गलत व विधि विरूद्ध प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाकर अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की सर्वप्रथम धमकी दी तब पटवारी हल्का से दिनांक 05.06.2024 को इन इंतकाल आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर ही अपीलाण्ट को इन इंतकालों के दर्ज व तस्दीक हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। इससे पूर्व अपीलाधीन इंतकाल आदेशों की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलाण्ट ज्ञान के दिवस से यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत कर रहे है तथा दिनांक 19.01.2023 से दिनांक 05.06.2024 तक की अवधि को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है । अपीलाधीन इंतकाल ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये है जिसके विरूद्ध यह अपील माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है जो 2/– रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांण्ट

प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 229 व 230 दिनांक 19.01.2023 चक 24 एनजीसी एवं इंतकाल संख्या 949 दिनांक 19.01.2023 चक 14 एफटीपी को अपास्त फरमाया जावे ।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेट को जरिये नोटिस तलब किया गया अपीलांट व रेस्पोंडेंट ने लोकअदालत की भावन से प्रेरित होकर राजीनामा पेश किया कि रेस्पोडैंट संख्या 1 का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। मिकर / रेस्पोडैंट संख्या 1 इस तथ्य को स्वीकार करता है कि कोई सम्पति जिसकी विरासत हिन्दु नारी को अपने पिता या माता से प्राप्त हुई हो, मृतक के पुत्र या पुत्री के (जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व मृत पुत्र या पुत्री के अपत्य भी आते है) आभाव में धारा 15 (2) हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में विनिर्दिष्ट अन्य वारिसों को उसमें विनिर्दिष्ट क्रम से न्यागत न होकर पिता के वारिसों को न्यागत होगी । हस्तगत प्रकरण में मिकर/रेस्पोडैंट संख्या 1 की धर्मपत्नी श्रीमति जतन कंवर को प्रश्नगत भूमि अपने पिहर पक्ष से प्राप्त हुई है तथा मिकर/रेस्पोडैंट संख्या 1 व उसकी धर्मपत्नी श्रीमति जतन कंवर के कोई संतान नही है इस कारण श्रीमति जतन कंवर के नाम दर्ज प्रश्नगत भूमि का विरासतन इन्तकाल संख्या – 229 व 230 दिनांकित 19.01.2023 चक 24 एन. जी. सी. व इन्तकाल संख्या– 949 दिनांकित 19.01.2023 चक 14 एफ.टी.पी. तहसील टिबी जो मिकर / रेस्पोडैंट संख्या 1 के पक्ष में दर्ज हुआ है, को मिकर / रेसपोट संख्या 1 विधि विरुद्ध होना स्वीकार करता है। मिकरान/रेस्पोईंट संख्या – 1 मिकरान / अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने व उक्त इन्तकाल आदेशों को निरस्त किये जाने में सहमत है। लिहाजा मिकरान ने यह राजीनामा अपनी स्वतंत्र इच्छा व विवेक से निष्पादित कर दिया है कि सनद रहे, वक्त जरूरत काम आवे । राजीनाम बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी, बहस पर मनन किया पत्रावली के सलंग्न दस्तावेज व राजीनामा का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट का राजीनामा हो जाने के कारण अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आरए स्वीकार की जाती है

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आरए स्वीकार की जाकर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 229 व 230 दिनाक 19.01.2023 चक 24 एनजीसी एवं इंतकाल संख्या 949 दिनांक 19.01.2023 चक 14 एफटीपी को अपास्त किया जाता है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को पालना हेतु पृथक से पत्र जारी किया जावे कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उक्तानुसार निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करे।

यह निर्णय आजदिनांक 9/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर